

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2009—आश्विन 15, शक 1931

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्र. एफ. 5-5-09-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-4 में, खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(पांच) उद्योगों एवं संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्ररूप के साथ, निम्नलिखित सारणी-एक में यथा विनिर्दिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जाएगी, जबकि खदानों के लिये आवेदन प्ररूप के साथ सारणी-दो में यथाविनिर्दिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जाएगी. भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खण्ड 3, उपखण्ड (दो) में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव एवं आंकलन अधिसूचना, एस.ओ. 1533 (ई), दिनांक 14 सितम्बर 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं, अथवा क्रियाकलापों हेतु लोक सुनवाई संचालित करने हेतु, राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सारणी-तीन के अनुसार प्रशासकीय फीस प्रभार्य होगी :—

सारणी-एक

अनु- क्रमांक (1)	विनिधान रूप्यों में (2)	सम्मति फीस रूप्यों में		
		लाल (3)	नारंगी (4)	हरा (5)
1	1000 करोड़ के तुल्य अथवा उससे अधिक	300000	250000	200000
2	500 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 1000 करोड़ से कम	200000	180000	175000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	200 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम	175000	160000	150000
4	100 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 200 करोड़ से कम	150000	130000	120000
5	50 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम	112500	97500	90000
6	10 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 50 करोड़ से कम	90000	78000	72000
7	3 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	60000	52000	48000
8	50 लाख तक अथवा उससे अधिक किन्तु 3 करोड़ से कम	15000	13000	12000
9	50 लाख से कम	1500	1300	1200

स्पष्टीकरण 1—उद्योगों तथा संस्थाओं का लाल, नारंगी तथा हरा प्रवर्गीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी सूची के आधार पर किया जाएगा.

स्पष्टीकरण 2—“विनिधान” जैसा कि उपरोक्त सारणी में प्रकट है, को उद्योग अथवा संस्था द्वारा भूमि, मशीनरी तथा उपकरण पर विनिधान पूंजी की कुल रकम के रूप में प्रकट है.

सारणी-दो

अनु- क्रमांक (1)	खदान का क्षेत्र (2)	सम्मति फीस रुपयों में (3)
1	5 हेक्टेयर्स तक	2500
2	5 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 25 हेक्टेयर्स तक	15000
3	25 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 50 हेक्टेयर्स तक	20000
4	50 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 100 हेक्टेयर्स तक	50000
5	100 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 500 हेक्टेयर्स तक	100000
6	500 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 1000 हेक्टेयर्स तक	200000
7	1000 हेक्टेयर्स से अधिक	400000

स्पष्टीकरण—सारणी-एक तथा दो में सम्मति फीस में जिसमें सम्मिलित है प्रथम वर्ष के लिये “स्थापित करने की सम्मति”, “प्रवर्तन की सम्मति” तथा सम्मति नवीकरण फीस. यदि कोई आवेदक किन्हीं परिस्थितियों के अधीन सम्मति फीस के प्रतिदाय की वांछा करता है, तब केवल 80 प्रतिशत सम्मति फीस प्रतिदेय होगी तथा 20 प्रतिशत का प्रशासकीय व्ययों के रूप में कटौत किया जाएगा बशर्ते कि उद्योग की स्थापना नहीं की गई हो तथा स्थल पर कोई गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई हो.

सारणी-तीन

अनु- क्रमांक (1)	विनिधान रुपयों में (2)	प्रशासकीय फीस रुपयों में (3)
1	50 करोड़ से कम	25000
2	50 करोड़ से अधिक	50000

2. नियम-5 में, उप नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(5)(क) आवेदक निम्नलिखित सारणी के अनुसार बोर्ड को वार्षिक सम्मति नवीनीकरण फीस (प्रथम वर्ष की फीस को छोड़कर) का संदाय करेगा, अर्थात् :—

सारणी

(क) उद्योगों एवं संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला विनिधान :—

अनु- क्रमांक (1)	विनिधान रुपयों में (2)	नवीनीकरण फीस रुपयों में		
		लाल (3)	नारंगी (4)	हरा (5)
1	1000 करोड़ तक या उससे अधिक	150000	125000	100000
2	500 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 1000 करोड़ से कम	75000	60000	55000
3	200 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम	65000	55000	50000
4	100 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 200 करोड़ से कम	60000	52000	48000
5	50 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम	45000	39000	36000
6	10 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 50 करोड़ से कम	30000	26000	24000
7	3 करोड़ तक अथवा उससे अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	22500	19500	18000
8	50 लाख तक अथवा उससे अधिक किन्तु 3 करोड़ से कम	5250	4550	4200
9	50 लाख से कम	750	650	600

स्पष्टीकरण—उद्योगों तथा संस्थाओं का लाल, नारंगी तथा हरा प्रवर्गीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी सूची के आधार पर किया जाएगा.

(ख) खदानों हेतु सम्मति नवीनीकरण फीस :—

अनु- क्रमांक (1)	खदान का क्षेत्र (2)	सम्मति नवीनीकरण फीस रुपये में (3)
1	5 हेक्टेयर्स तक	2000
2	5 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 25 हेक्टेयर्स तक	10000
3	25 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 50 हेक्टेयर्स तक	15000
4	50 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 100 हेक्टेयर्स तक	40000
5	100 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 500 हेक्टेयर्स तक	80000
6	500 हेक्टेयर्स से अधिक तथा 1000 हेक्टेयर्स तक	150000
7	1000 हेक्टेयर्स से अधिक	200000

(ख) नैसर्गिक संसाधन से जल प्राप्त करने वाले तथा जलधाराओं में बहिस्त्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों से प्रभार्य सम्मति फीस तथा वार्षिक सम्मति नवीनीकरण फीस निम्नानुसार होगी :-

(क)	नगर निगम	रुपये 3,000
(ख)	क.क. श्रेणी की नगरपालिकाएं	रुपये 2,000
(ग)	क. श्रेणी की नगरपालिका	रुपये 1,000
(घ)	ख. श्रेणी की नगरपालिका	रुपये 500
(ङ)	ग. श्रेणी की नगरपालिका	रुपये 250
(च)	न्यूनतम फीस	रुपये 250

(ग) किसी उद्योग अथवा संस्था के लाल, नारंगी अथवा हरे प्रवर्गीकरण में किसी विवाद की स्थिति होने पर, राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा. ”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्र. एफ-5-5-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक 5-5-09-बत्तीस, दिनांक 7 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

Bhopal, the 7th October 2009

No. F 5-5-09-XXXII.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government after consultation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 4, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—

“(V) The application form shall be duly accompanied by the consent fees as specified in the following Table-I by industries and institutes, while for mines the application form shall be duly accompanied by the consent fees as specified in the Table-II. The administrative fees chargeable by the State Board for the conduct of public hearing for projects or activities listed in the Schedule of the Environment Impact Assessment Notification, S.O.1533 (E), dated 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), shall be as per the following Table-III :—

TABLE-I

S. No.	Investment in rupees	Consent Fees in Rupees		
		Red	Orange	Green
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Equal to or more than 1000 Crore	300000	250000	200000
2	Equal to or more than 500 Crore but less than 1000 Crore	200000	180000	175000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Equal to or more than 200 Crore but less than 500 Crore	175000	160000	150000
4	Equal to or more than 100 Crore but less than 200 Crore	150000	130000	120000
5	Equal to or more than 50 Crore but less than 100 Crore	112500	97500	90000
6	Equal to or more than 10 Crore but less than 50 Crore	90000	78000	72000
7	Equal to or more than 3 Crore but less than 10 Crore	60000	52000	48000
8	Equal to or more than 50 Lacs but less than 3 Crore	15000	13000	12000
9	Less than 50 Lacs	1500	1300	1200

Explanation 1—The Red, Orange and Green categorization of industries and institutes shall be done on the basis of the list issued by Central Pollution Control Board, New Delhi.

Explanation 2—“Investment” as it appears in the above Table is clarified as being gross amount of capital invested by the industry or institute on land, machinery and equipment.

TABLE-II

S. No. (1)	Area of Mines (2)	Consent Fee in Rupees (3)
1	Up to 5 Hectares	2500
2	More than 5 Hectares and upto 25 Hectares	15000
3	More than 25 Hectares and upto 50 Hectares	20000
4	More than 50 Hectares and upto 100 Hectares	50000
5	More than 100 Hectares and upto 500 Hectares	100000
6	More than 500 Hectares and upto 1000 Hectares	200000
7	More than 1000 Hectares	400000

Explanation—The consent fee in Table-I and II includes fees for ‘consent to Establish’, ‘Consent to Operate’ and ‘consent renewal fee’ for the first year. If any applicant under any circumstances desires the refund of consent fees, then 80% of the consent fee shall only be refundable and 20% shall be deducted as administrative expenses provided that the industry is not established and no activity has been started at site.

TABLE-III

S. No. (1)	Investment in rupees (2)	Administrative fee in rupees (3)
1	Less than 50 Crores	25,000.00
2	More than 50 Crores	50,000.00

2. In rules 5, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) (a) The applicant shall pay an annual consent renewal fees (except the fee for first year) to the Board as per following Table, namely :—

TABLE
Industries and institutes having an investment of

S. No. (1)	Investment in rupees (2)	Renewal Fees in Rupees		
		Red (3)	Orange (4)	Green (5)
1	Equal to or more than 1000 Crore	150000	125000	100000
2	Equal to or more than 500 Crore but less than 1000 Crore	75000	60000	55000
3	Equal to or more than 200 Crore but less than 500 Crore	65000	55000	50000
4	Equal to or more than 100 Crore but less than 200 Crore	60000	52000	48000
5	Equal to or more than 50 Crore but less than 100 Crore	45000	39000	36000
6	Equal to or more than 10 Crore but less than 50 Crore	30000	26000	24000
7	Equal to or more than 3 Crore but less than 10 Crore	22500	19500	18000
8	Equal to or more than 50 Lacs. but less than 3 Crore	5250	4550	4200
9	Less than 50 Lacs.	750	650	600

Explanation—The Red, Orange and Green categorization of industries shall be done on the basis of the list issued by Central Pollution Control Board, New Delhi.

(B) Consent Renewal Fees for mines :—

S. No. (1)	Area of Mines (2)	Renewal Fee in Rupees (3)
1	Up to 5 Hectares	2000
2	More than 5 Hectares and upto 25 Hectares	10000
3	More than 25 Hectares and upto 50 Hectares	15000
4	More than 50 Hectares and upto 100 Hectares	40000
5	More than 100 Hectares and upto 500 Hectares	80000
6	More than 500 Hectares and upto 1000 Hectares	150000
7	More than 1000 Hectares	200000

(b) Consent fee and annual consent renewal fee chargeable from local bodies extracting water from natural resources and discharging effluents into streams shall be as under :—

(a)	Municipal Corporation	Rs. 3000
(b)	Class AA. Municipalities	Rs. 2000
(c)	Class A. Municipalities	Rs. 1000
(d)	Class B. Municipalities	Rs. 500
(e)	Class C. Municipalities	Rs. 250
(f)	Minimum Fee	Rs. 250

(c) In case of any dispute in the categorization of any industry or institute as red, orange or green, based on the recommendations of three members committee headed by the Member Secretary of the State Board, the decision of the Chairman shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. D. AGARWAL, Dy. Secy.